**समक्ष श्रीमान राजस्व मंडल महोदय ग्वालियर सर्किट भोपाल म0प्र0**

P-1490-PB/17 प्र.क...............

कुंवर बाई पत्नी श्री इमरतलाल
आयु-वयस्क निवासी-ग्राम लांबाखेडा,
तह. हुजूर जिला भोपाल --- अपीलार्थी

विरूद्ध

1. बाबूलाल पुत्र श्री गनपत
आयु-वयस्क निवासी-ग्राम लांबाखेडा,
तह. हुजूर जिला भोपाल

2. मांगीलाल पुत्र श्री परसादीलाल
आयु-वयस्क निवासी-ग्राम मालीखेडी,
तह. हुजूर जिला भोपाल म0प्र0 --- प्रतिअपीलार्थीगण

अभिभावक श्री.................. द्वारा आज दिनांक 03/5/2017 को पेश।

**अपील अंतर्गत धारा 35 (4) सहपठित धारा 44 म0प्र0भू0रा0सं0**

महोदय जी,

अपीलार्थी माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग के द्वारा प्र.क्र. 18/पुनरस्थापन/12-13 कुंवर बाई विरूद्ध बाबूलाल में पारित आदेश 28.1.15 से दुखित होकर निम्न तथ्यों व आधारों पर अपील प्रस्तुत करते हैः-

1. यह कि अपीलार्थी ने माननीय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल के यहां धारा 44 म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत राजस्व अपील श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय तह. हुजूर जिला भोपाल के आदशे दिनांक 20.09.11 अपील क. 180/11 से दुखी होकर प्रस्तुत की थी। अपीलार्थी का संक्षिप्त में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी व प्रतिअपीलार्थीगण के पिता गणपत का स्व. दिनांक 24.10.98 को हो गया था एवं स्व. श्री गणपत की सहदायिक संपत्ति पर प्रतिअपीलार्थी बाबूलाल ने अपने को एक मात्र वारिस प्रकट

निरंतर...2

R 1490-PBR/17 गोपाल
कुंवरबाई / मदनलाल आर्य

29.6.2017

आवेदिका की ओर से श्री बी०एल० साहू अभिभाषक ने उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि वे प्रकरण नहीं चलाना चाहते हैं। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष